REVISE PLAN ON KHASRA NO. 102/8 ,102/2 OF VILLAGE BASNI LACHA AT JODHPUR

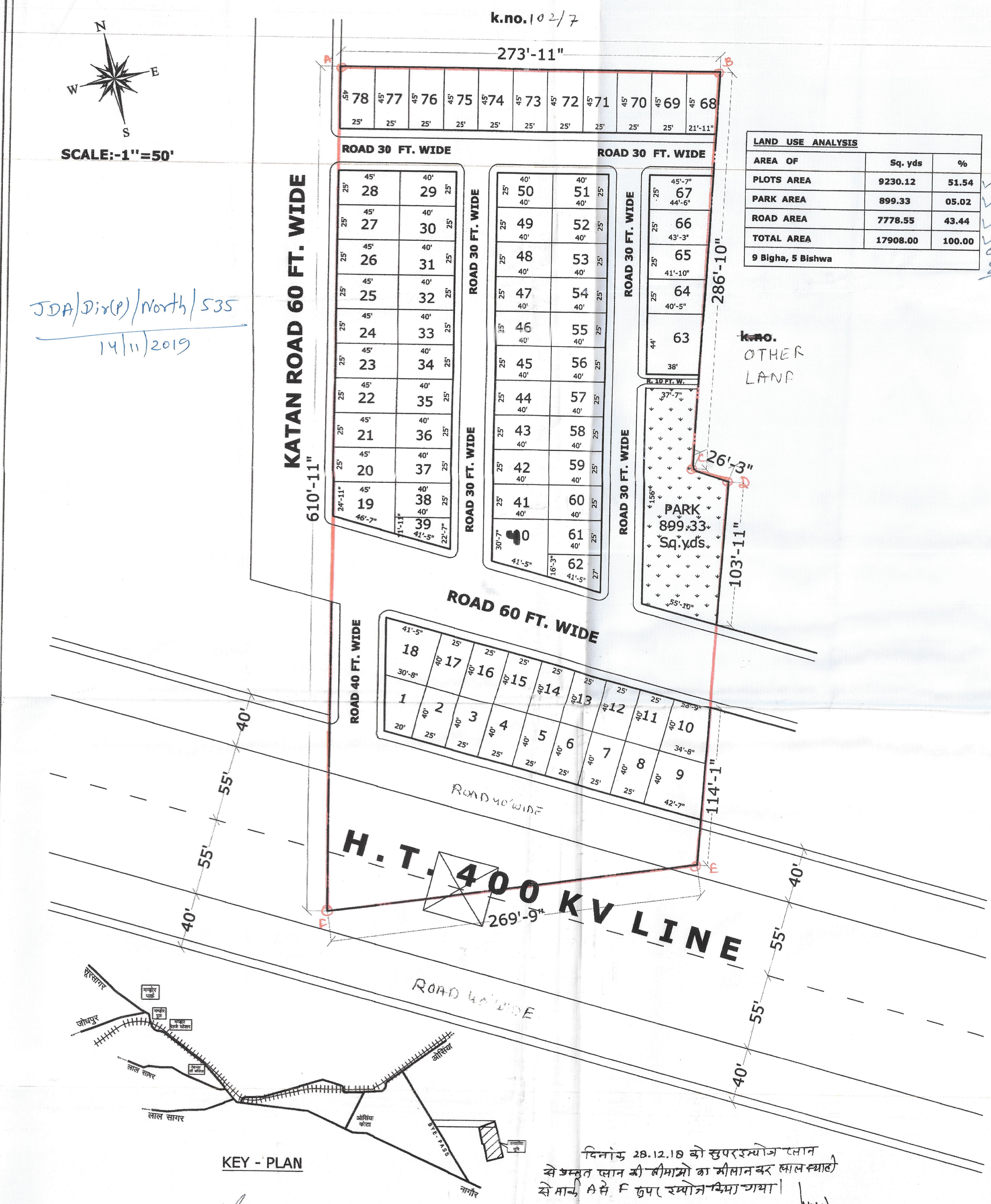

LAND USE ANALYSIS		
AREA OF	Sq. yds	%
PLOTS AREA	9230.12	51.54
PARK AREA	899.33	05.02
ROAD AREA	7778.55	43.44
TOTAL AREA	17908.00	100.00
9 Bigha, 5 Bishwa		

JDA/Dir(P)/North/535
14/11/2019

दिनांक 28.12.18 को सुपरइम्पोज प्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओ का मीलान कर लाल स्याही से मार्क A से F तक इम्पोज किया गया।

08.11.19
JUR (JDA

राजस्व ग्राम बासनी लाछा में खसरा संख्या 102/8, 102/2 रकबा 09.05.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	समिति को अवगत करवाया गया कि :– ज़ोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो राजकीय भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। ज़ोन चेकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/8 से पूर्व दिशा छोड़ से किसी खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट X 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। कटान मार्ग की चौड़ाई समिति द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। आवेदित भूमि के दक्षिण से गुजर रही 400 के.वी. की विद्युत लाईन की रेखीय निर्माण कार्य नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ी जानी अपेक्षित है।
आवेदक :– श्री किशोर पुत्र श्री पन्नालाल	समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– ज़ोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो राजकीय भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। उक्त की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। ज़ोन चेकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/8 से पूर्व दिशा छोड़ से किसी खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट X 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का म्यूटेशन के लिए के नाम दर्ज करवाने से नियमानुसार शुल्क लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर पर की जानी होगी। [illegible] द्वारा जारी अधिसूचना संख्या [illegible] सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के क्रम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। मुख्यमंत्री जन-आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार [illegible] जानी अपेक्षित है।
भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 25/2019 वें बैठक दि.नांक 09.07.2019	नोडल एजेंसी जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। शर्तों से इस बाबत् सुनिश्चित किया जावे कि [illegible] न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त परस्पर्धित भूमि से [illegible] की सत्यता जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। [illegible] निर्णय कार्य कलाप से पूर्व [illegible] अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की [illegible] कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावे।

11/11/19 11/11/19 11/11/19